

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

जयपुर, दिनांक: 6/10/2021

क्रमांक:-एफ 3(2)( )बजट/मुख्य/सान्याअवि/2020-21 / 7873

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,  
प्रधानाचार्य, समस्त राज. आवासीय विद्यालय,  
समस्त नारी निकेतन/महिला सदन/वृद्धाश्रम,  
समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
राजस्थान।

विषय:-राजकीय विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सृजित देयताओं के एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली पर अंकित किये जाने के सम्बंध में।

प्रसंग:-वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75)

डीटीए /IFMS 2306-2555 दि० 28.12.2020 एवं वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक प.4(48) वित्त-1(1)आ.व्य./2021 दिनांक 06.09.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के क्रम में लेख है कि विभाग की देयताओं को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कार्यालयवार बजट आवंटन किया गया है अथवा नहीं किया गया है, (दोनों स्थितियों में) कार्यालय से सम्बंधित देयताओं के बिल IFMS/ PAY- MANAGER पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। विभाग की बकाया देयताओं में उन्हीं को माना जायेगा जो IFMS/PAY-MANAGER पर अपलोड कर दिये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में IFMS/PAY-MANAGER पर अब तक के व्यय एवं सिस्टम पर दर्ज बकाया बिल एवं शेष अवधि के लिये अनुमानित व्यय के आधार पर ही संशोधित अनुमान 2021-22 के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हैं।

अतः उपरोक्त प्रासंगिक परिपत्रों को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.Finance.rajasthan.gov.in](http://www.Finance.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड करते हुये उसमें प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यालय से सम्बंधित समस्त बकाया देयताओं को अविलंब (दि.14.10.2021 से पूर्व) IFMS/ PAY- MANAGER पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 6/10/2021

क्रमांक:-एफ 3(2)( )बजट/मुख्य/सान्याअवि/2020-21 / 7874-77  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)।
2. अति०/उप निदेशक,पिछडीजाति/अत्याचार निवारण/राईस/सामाजिक सुरक्षा /पेंशन/छात्रवृत्ति/छात्रावास/एस.सी.एस.पी./देवनारायण/पेंशन/योजना।
3. संयुक्त निदेशक(आई०टी०)को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार